

आरटीआई प्रकटीकरण (2020-21)

1. संगठन और कार्य

क्र.सं.	मद	प्रकटीकरण का विवरण	सूचना/ प्रासंगिक वेब लिंक
1.6	प्राधिकरण द्वारा अपने नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियां [धारा 4(1)(बी)(vi)]	(i) दस्तावेजों की श्रेणियां	<p>दस्तावेजों की श्रेणियाँ: - दस्तावेजों को गोपनीय (जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया जा सकता) और सामान्य के संदर्भ में भी वर्गीकृत किया जा सकता है।</p> <p>i. निम्नलिखित सामान्य दस्तावेज हैं जो विभाग द्वारा अपने संचालन के प्रभावी और कुशल संचालन के लिए रखे गए हैं:</p> <ol style="list-style-type: none">संस्था के अंतर्नियम और संगम ज्ञापनव्यापार और कार्य के संचालन के लिए विकसित नियमावली। क) एचआर मैनुअल, ख) सर्विसिंग मैनुअल (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय), ग) खरीद मैनुअल, घ) सतर्कता मैनुअल, ड) संसाधन जुटाव मैनुअल (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय), च) निवेश मैनुअल, छ) जोखिम प्रबंधन नीति आदि। ज) कंपनी के व्यवसाय के संचालन से संबंधित अन्य दस्तावेज <p>3. प्रचालन नीति वक्तव्य।</p> <p>ii. गोपनीय दस्तावेज, जिन्हें अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रकटीकरण से छूट दी गई है, वे इस प्रकार हैं:</p> <ol style="list-style-type: none">वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा सहित सूचना, जिसके प्रकटीकरण से किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचेगा।

2. प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए जांच संबंधी रिकॉर्ड का अनुपालन किया गया, लेकिन केवल उस सीमा तक जो निम्नलिखित निर्दिष्ट हितों में से किसी को नुकसान पहुंचाएगा:
 - क) प्रवर्तन कार्यवाही
 - ख) निष्पक्ष सुनवाई या निष्पक्ष न्यायिक निर्णय
 - ग) व्यक्तिगत गोपनीयता
 - घ) जांच सूत्रों की गोपनीयता
 - ड) कानून लागू करने वाले कर्मियों की तकनीक, प्रक्रिया और सुरक्षा।
3. किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वसिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना।
4. विदेशी सरकार से गोपनीय रूप से प्राप्त सूचना।
5. सूचना, जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा।
6. ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंधित नहीं है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा।
7. सूचना जो विशेष रूप से विधि द्वारा प्रकटन से छूट प्राप्त है।
8. सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या किसी अपराध को बढ़ावा मिलेगा।
9. सूचना जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या इसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है
10. सूचना, जिसके प्रकटन से संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा।
11. कोई अन्य दस्तावेज जिसे प्रबंधन अपने विवेकाधिकार से गोपनीय रखने का निर्णय लेता है।

		(ii) दस्तावेजों/श्रेणियों का अभिरक्षक	<p>दस्तावेजों/श्रेणियों का अभिरक्षक:- निगम द्वारा रखे गए दस्तावेज सामान्यतः संबंधित और जिम्मेदार अधिकारी द्वारा निगम के संदर्भ के लिए होते हैं।</p> <p>संगत दस्तावेजों का अभिरक्षक संबंधित विभागाध्यक्ष होगा।</p>
--	--	---------------------------------------	---